संख्या–515/33–9–2007–70/2007

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांकः 11 अप्रैल, 2007

विषयः– ग्राम स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु गांव निधि का पृथक खाता खोला जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–6089/33–3– 99–222/99, दिनांकः 03–11–1999 एवं शासनादेश संख्या–5100/33–3–2002–125/ 99 दिनांकः 25–1–2006 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति ग्राम पंचायत स्तर पर गांव निधि के चार खाते रखे जाने के निर्देश हैं, जिसमें विभिन्न योजनाओं की धनराशियॉ रखी जाती हैं। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को अभी तक गांव निधि खाता–। में रखा जाता है। गांव निधि खाता–। में केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं का भी धन जमा किया जाता है। अन्य योजनाओं में धन का आहरण पाक्षिक/मासिक होता है लेकिन मध्यान्ह भोजन योजना में धन का आहरण आवश्यकतानुसार वर्ष वार करना पड़ता है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि इससे खाता सत्यापन एवं सही लेखा जोखा तैयार करने में कठिनाई हो रही है और योजना की गुणवत्ता तथा संचालन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है।

2. अतः श्री राज्यपाल महोदय मध्यान्ह भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु गांव निधि का एक पृथक खाता रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं, जो गांव निधि खाता संख्या –ट (मिड–डे–मील) कहलायेगा। इस खाते में मध्यान्ह भोजनान्तर्गत प्राप्त परिवर्तन लागत की धनराशि रखी जायेगी। उक्त खाते का संचालन पंचायत राज अधिनियम तथा नियमों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप संबंधित प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

3. उक्त सीमा तक पूर्व में निर्गत समस्त आदेश संशोधित समझे जायेंगे। कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 515(1)/33–3–2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
ह0
(**पान्डेय**)